बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–77 / 2022 – 1550 / पटना, दिनांक– 29/3/22

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड– 37– 3054–04 – 105 – 0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड–37–3054–04–105–0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक अनुमोदन दी जाती है:–

Sl. No	Name of Division	Block	Project-Id	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Marhaura	Amnaur	31306202091	Repura Se Dumrai	3.57	157.64	31.98	15.76	205.38
2	Marhaura	Amnaur	31306504001	Amnaur Panchayat Manorpur Pakri Saalkhua Aphar Mukhya Sarak Baldiha Me Bira Manjhi Ke Ghar Se Baldiha Pachim Tola Hote Huye Kumhar Tola Devi Sthan Mukhya Sadak Tak Marammati Kary	2.21	95.03	21.16	9.50	125.69
3	Sonpur	Parsa	31306413018	NH 102 Chura Mill to PMGSY Road SC Tola	1.825	39.33	23.874	3.917	67.121
4	Raxaul	Choradano	31708508030	T01 PWD Road Belwa To Khairwa	3.00	125.11	33.22	12.51	170.84
5	Raxaul	Choradano	31708502055	Hiramani To Banjari	3.481	143.408	41.995	14.340	199.74
6	Motihari	Turkauliya	317821000000	Pipal Chowk of Motihari- Areraj PWD Road To Chhat Ghat	1.53	92.981	9.077	9.298	113.36

6 29/3/2022

Sl. No	Name of Division	Block	Project-Id	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Sonpur	Sonpur	313641895856	Najarmira Rahardiyara panchayat ke rahardiyara gram ke sri mulki rai ke ghar wale chowk se sri meghnath rai ke ghar hote huye pahleja shahpur devi mandir tak.	0.800	49.661	5.687	4.966	60.314
8	Sonpur	Sonpur	313641895859	Shah tola nat tola late bharat rai ke ghar wale tinmuhani se kathin rai, chandrashekhar rai ke pass RCC road.	0.700	45.186	5.041	4.519	54.745
9	Sonpur	Dighwara	31306405004	Bodha chhapra Mahadalit Basti to Dahaur Baitha kr ghar hote huye pursotampur gram se awtarnagar station tak.	1.400	32.82	19.219	3.282	55.321
10	Sonpur	Dighwara	313606413024	Nizamchak to Muslim Tola	0.500	12.201	7.216	1.220	20.637
11	Chapra-2	Ishuapur	31306312051	Sh Mashrakh Cold Storage to Up to Doyila Bhavnagar Singh ke Tola	0.700	30.492	9.398	3.049	42.393
12	Marhaura	Panapur	31306513001	Bhagwanpur Bazar To Quarter Bazar Tak	1.75	111.817	11.36	11.182	134.35
13	Marhaura	Panapur	31306512016	Uach Vidayalay Kondh Bhagwanpur To Mathura Dham	1.65	54.258	20.554	5.426	80.23
14	Marhaura	Taraiya	31306202083	Pokhraira To Lauwa	6.05	394.15	50.789	39.415	484.35
15	Marhaura	Taraiya	31306512006	Lauwa Ramayan More Se Pokhraira Lauwa PMGSY Path Abam Moriya Tak	2.25	71.848	23.534	7.185	102.56
TOTAL					31.416				1917.04

2. कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं / विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

3. **"बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018"** के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

4. इस योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– संचिका संख्या– **मु0अ0–4(मु0)–3054–04–94 / 2022** में दिनांक 23.03.2022, **मु0अ0–4(मु0)–3054–04–182 / 2022** में दिनांक 23.03.2022, **मु0अ0–4(मु0)–3054–04–42 / 2022** में दिनांक 10.02.2022 एवं संचिका संख्या– **मु0अ0–4(मु0)–3054–04–10 / 2022** में दिनांक 14.03.2022 को प्राप्त है।

24/3/2022

5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 29.3.2022 को संचिका संख्या– **मु0अ0–4(मु0)–3054–04–77 / 2022** में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजनाओं Unsatisfactory / Satisfactory but Requires Improvement कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान / प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑनलाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–77 / 2022 के पृ0– 8 / टि0 पर दिनांक–28.3.2022 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

29/3/2022

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–77 / 2022 – 1550 / पटना, दिनांक– 29/3/2022

प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–77 / 2022 – 1550 / पटना, दिनांक– 29/3/2022

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा) / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग / मुख्य **अभियंता**–3 एवं 4, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, संबंधित कार्य अंचल / संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/3/2022

विशेष सचिव